राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 29 मार्च, 1988

क्रमांक 314-ज-(2)-88/10731.—श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री शिवलाल, निवासी गांव छारा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7346-र-(4)-69/2972, दिनांक 9 फरवरी, 1970, द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री बलवन्त सिंह की दिनांक 16 नवम्बर, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बलवन्त सिंह की विधवा श्रीमती सरती देवी के नाम खरीफ, 1987, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 5 अप्रैल, 1988

क्रमांक 201-ज(I)-88/11397.—श्री वरयाम सिंह, पुत्र श्री बूटा सिंह, निवासी गांव खेड़ी शर्फ अली, तहसील करनाल, जिला करनाल, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1340-ज (II)-74/40871, दिनांक 21 मार्च, 1974 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री वरयाम सिंह की दिनांक 5 नवम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री वरयाम सिंह की विधवा श्रीमती प्रीतम कौर के नाम खरीफ, 1982, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 188-ज(2)-88/11492.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा (3)(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री पूर्णमल, पुत्र श्री जोधा राम, गांव मुन्डालिया, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार जागीर सहर्ष प्रदान करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा तथा जागीर),
विभाग।

LAT : NOTIFICATION